न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारी:- रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील डिक्री संख्या:-416/2022/223 आर.टी.एक्ट (2022/416)

1. ओमशंकर पुत्र रूपनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गोखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राजस्थान।
2. गणेशनारायण पुत्र रूपनारायण, जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम गोखमपुरा, तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
3. मोहनलाल पुत्र कल्याण जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान (मृतक)
   3/1 श्रीमती मूलीदेवी पत्नी स्व0 मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
   3/2 रामेश्वर पुत्र स्व0 मोहनलाल जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान। (मृतक)
   3/2/1 श्रीमती शांति देवी पत्नी स्व0 रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
   3/2/2 श्रीमती लक्ष्मी देवी पुत्री स्व0 रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
   3/2/3 राकेश कुमार पुत्र स्व0 रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
   3/2/4 विनोद पुत्र स्व0 रामेश्वर जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राजस्थान।
   3/3 बद्रीप्रसाद पुत्र स्व0 मोहनलाल, जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राजस्थान।
   3/4 जगदीश पुत्र स्व0 मोहनलाल, जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राजस्थान।
   3/5 रामावतार पुत्र स्व0 मोहनलाल, जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राजस्थान।
   3/6 राजेन्द्र पुत्र स्व0 मोहनलाल, जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राजस्थान।
   3/7 भागचंद पुत्र स्व0 मोहनलाल, जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राजस्थान।
   3/8 पुरूषोत्तम पुत्र स्व0 मोहनलाल, जाति ब्राहम्ण निवासी मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर, राजस्थान।

अपीलांट्स

बनाम

1. भूरा उर्फ भंवरलाल (पुत्रान लादू, जाति ब्राहम्ण, निवासी ग्राम
2. सत्यनारायण (मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
3. उप-पंजीयकः मौजमाबाद, जिला जयपुर, राजस्थान।
4. तहसीलदार मौजमाबाद, जिला जयपुर राजस्थान।
5. श्रीमती गीता देवी पुत्री मदनलाल, जाति ब्राहम्ण निवासी बिचून तहसील मौजमाबाद हाल निवासी 325, जयपुरियों की बाढ बडराम सिरसी वार्ड नम्बर 2 जयपुर जिला जयपुर राजस्थान।

रेस्पोडेन्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध आदेश दिनांक 31.10.2022 न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू राजस्व वाद संख्या 633/2013

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उपस्थितः–
1. श्री उदयसिंह चौधरी अभिभाषक अपीलांट
2. श्री विकास पराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 3 व 4
3. रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 5 अनुपस्थित

निर्णय

दिनांकः–12.09.2025

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 633/2013 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू के यहां एक वाद बाबत घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा कां विरूद्ध रेस्पोडेंट्स प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी प्रतिवादीगण जारी की गई। वकील वादीगण द्वारा गवाह व साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। जिरह प्रतिवादी द्वारा की गई तत्पश्चात पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई जिस पर अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा बहस सुनी जाकर वादी दिनांक 31.10.2022 को खारिज फरमा दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 633/2013 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट की एकपक्षीय बहस सुनी गई। बावजूद सूचना के रेस्पोडेंट संख्या 1, 2 व 5 अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादीगण/अपीलार्थीगण ने अपने वादपत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया था कि वादीगण के पूर्वज मोटाराम के दो पुत्र भूरा एवं कल्याण रहे हैं। भूरा नाऔलाद फौत हो गया है उसका एकमात्र भाई कल्याण वादीगण का दादा/पिता है। पर्चा सैटलमेंट संवत 2011 में आराजी साविक खसरा नम्बर 2616, 2617 के साथ अन्य आराजीयात का पर्चा भूरा वल्द मोटा के नाम से सही आ गया, परंतु विवादित आराजीयात के साविक खसरा नम्बर 2615 का पर्चा गलत रूप से प्रतिवादी संख्या 1 भूरा वल्द लादू व खसरा नम्बर 2614 का पर्चा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भंवरलाल, सत्यनारायण पुत्र लादू के नाम से गलत रूप से राजस्व कारकुनानों की गलती से जारी हो गया, जबकि मौके पर साविक खसरा नम्बर 2614, 2615, 2616, 2617 का एक ही जाव है। बीच में कोई मेडबन्दी नहीं है तथा वरवक्त पर्चा उक्त आराजी पर भूरा वल्द मोटा काबिज था। इसी अनुसार पर्चा आना चाहिये था तथा ग्राम कडवों का बास में भूरा उर्फ भंवरलाल व सत्यनारायण पुत्र लादू नाम के कोई व्यक्ति न ही तो पहले कभी थे तथा न ही वर्तमान में हैं। जब तक भूरा वल्द मोटा जीवित रहा उक्त आराजीयात पर वह काबिज रहकर काश्त करता रहा और उसके लाऔलाद फौत होने के पश्चात उसका सगा छोटा भाई कल्याण पुत्र मोटाराम जब तक जीवित रहा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

उक्त आराजी पर काबिज काश्त रहकर काश्त करता रहा और कल्याण वल्द मोटाराम के मरने के उसके वारिस रूपनारायण व मोहन काबिज काश्त रहे तथा रूपनारायण के फौत होने के पश्चात उक्त आराजी पर वादी संख्या 1 व 2, 1/2 हिस्से पर एवं वादी संख्या 3 1/2 हिस्से पर अब तक शान्तिपूर्वक काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे हैं। विवादित आराजीयात एवं वादीगण के पूर्वजों की आराजीयात का मौके पर एक ही चक एवं एक ही जाव बना हुआ है, जिसमें कोई मेड़बन्दी नहीं रही है और विवादित आराजीयात को वादीगण के पूर्वज शुरू से काश्त करते आ रहे थे और वादीगण के पूर्वज जो कि अनपढ किसान लोग थे, जो इसी विश्वास में रहे कि विवादित आराजीयात भी अपने ही नाम हैं, इसलिये उक्त आराजीयात का प्रतिवादीगण के नाम होने का वादीगण के पूर्वजों को और उनके मरने के पश्चात वादीगण को अब तक कोई इल्म नही हो सका।" आदि तथ्य अंकित किये गये थे एवं कब्जा काश्त भी वादीगण का चला आ रहा था, इस अहम तथ्य की ओर योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कोई गौर नहीं किया गया न इस कानूनी बिन्दू पर भी गौर किया गया कि विपक्ष की ओर से इस बाबत न कोई साक्ष्य, सबूत व दस्तावेजात पेश किये, न वे उपस्थित रहे। उसके बावजूद भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने जिस प्रकार से वादीगण/अपीलाण्ट्स का वाद खारिज किया है। विवाद्यक संख्या 1 के सम्बन्ध में वादीगण/अपीलाण्ट्स ने प्रदर्श 8 पर्चा सैटलमेन्ट पेश किया है, जिसके अनुसार खसरा नम्बर 2616 व 2617 का पर्चा वादीगण के पूर्वज भूरा वल्द मोटा के नाम से जारी हो रखा है तथा खसरा नम्बर 2614 व 2615 का पर्चा प्रतिवादीगण भूरा सत्यनारायण वल्द लादू के नाम से जारी हुआ हैं, जिसको अब वादीगण खातेदारी प्राप्त करने हेतु ही अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद पेश किया था, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने किसी प्रकार से गोर नहीं किया तथा गलत रूप से तनकीयात का विवेचन कर वादीगण का वाद खारिज करने में अहम कानूनी भूल की है। विवाद्यक संख्या 2 को साबित करने हेतु वादीगण ने अपने व गवाहान के सशपथ बयान करवाये थे तथा अखबार में भी प्रतिवादीगण के सम्मन साया करवाये हैं, जिनका अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया तथा प्रतिवादीगण भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये जब वादीगण ने अपने वाद–पत्र में यह कथन किया था कि ग्राम कडवों का बास में भूरा उर्फ भंवरलाल व सत्यनारायण पुत्र लादूराम जाति ब्राहाम्ण नाम का कोई व्यक्ति न ही तो पहले कभी था न ही वर्तमान में हैं। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने अपने स्वंय की मर्जी से गलत रूप से तनकीयात का विवेचन कर प्रतिवादीगण के हक में तनकीयात को तय की हैं। जिससे भी अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्तनीय हैं। इसी प्रकार विवाद्यक संख्या 3 को साबित करने का भार वादीगण पर है, जिसे साबित करने के लिये वादीगण ने बखूबी अपने दस्तावेजात प्रदर्श 1 ल. 13 से व अपने गवाहान पीडब्ल्यू 1, पीडब्ल्यू. 2. पीडब्ल्यू 3 के बयानों से बखूबी साबित करने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से विवेचन कया है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 633/2013 में पारित आदेश दिनांक 31.10.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

5. विद्वान राजकीय अधिवक्ता वर्तमान प्रकरण में फोर्मल पक्षकार है। न्यायालय हाजा द्वारा किए गए निर्णय से उन्हें किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

6. हमनें अभिभाषक अपीलांट द्वारा कि गई बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण में पांच तनकीयात मय अनुतोष कायम किए जाकर उक्त प्रकरण का निस्तारण किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अद्योपांत अवलोकन कर एवं अभिभाषक अपीलांट की बहस पर अनुशीलन एवं मनन किए जाने के उपरांत हाजा न्यायालय उक्त पत्रावली बावत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्मित तनकीयों का विवेचन कर पुनः तनकीवार निर्णय किया जाना उचित समझते हैं:–

तनकी संख्या–1 " *आया विवादित आराजीयात के साबिक खसरा नम्बर 2614 व 2615 के समीप की आराजी खसरा नम्बर 2616 व 2617 का पर्चा वादीगण के पूर्वज भूरा पुत्र मोटा के नाम से सही आया था व विवादित आराजीयात खसरा नम्बर 2615 का पर्चा गलत रूप से प्रतिवादी भूरा वल्द लादू एवं खसरा नम्बर 2614 का पर्चा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 भंवरलाल, सत्यनारायण पुत्र लादू के नाम से राजस्व कारकुनानों की गलती से जारी हो गया, जबकि मौके पर साबिक नम्बर 2614, 2615, 2616, 2617 एक ही जाव है बीच में कोई मेडबंदी नहीं है।* "

अधीनस्थ न्यायालय में उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण ने उक्त तनकी को अधीनस्थ न्यायालय में प्रदर्श– 11, 12 व 13 जो कि खसरा गिरदावरी संवत 2009–2020 तक है अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तनकी को यह कहते हुए वादीण/अपीलांट के विरूद्ध तय की कि वादीगण के पूर्वजों का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त नहीं होने के आधार पर जो पर्चा प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम जारी हुआ है उसको सही मानते हुए तनकी संख्या 01 को वादीगण के विरूद्ध तय किया गया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श संख्या 11, 12 व 13 से अपने वाद को बखूबी साबित कर दिया था। उक्त प्रदर्श संख्या 11 से 13 के अनुसार वादीगण के पूर्वज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले, लागू होने के समय व लागू होने के बाद कब्जे काश्त में होकर निरतंर काश्त करते चले आये है। जबकि प्रतिवादीगण के पूर्वज जागीरदार के कॉलम में दर्ज रहे है, जागीरदारी समाप्ति के पूर्व एवं पश्चात वादीगण/अपीलांट के पूर्वज लगातार वादग्रस्त आराजीयात पर काबिज काश्त रहे है। ऐसी स्थिति में वादीगण के पूर्वज काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय मौके पर वादग्रस्त आराजी पर काबिज काश्त होने के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत स्वतः ही कानूनी रूप से खातेदार काश्तकार हो गये थे। अतः जो पर्चा प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम जारी हुआ ,वह पर्चा कानूनी रूप से वादीगण/अपीलांट के पूर्वजों के नामं वादग्रस्त आराजीयात का पर्चा जारी किया जाना चाहिए था। उक्त वादग्रस्त आराजीयात का गलत रूप से पर्चा प्रतिवादीगण के पूर्वज जो कि तत्समय जागीरदार के कॉलम में दर्ज थे के नाम अविधिक रूप से जारी कर दिया गया। उक्त पर्चे के आधार पर वाद के राजस्व रिकार्ड में वादग्रस्त आराजीयात प्रतिवादीगण के पूर्वजों के नाम दर्ज होती रही। उसकी दुरुस्ती बावत वादीगण ने कानूनी

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रावधानों के तहत अधीनस्थ न्यायालय मे वाद प्रस्तुत किया गया था तथा वाद को दस्तावेजी साक्ष्य प्रदर्श संख्या 11 से 13 द्वारा व मौखिक साक्ष्य एवं स्वतंत्र गवाहों की साक्ष्य से साबित कर दिया गया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने तनकी संख्या 1 को सरसरी तौर पर प्रदर्श 11 से 13 का सरसरी तौर पर अवलोकन कर उक्त तनकी को अविधिक रूप से वादीगंण के विरूद्ध तय किया गया। प्रदर्श संख्या 11 से 13 के संबंध में हमारे द्वारा अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1993 पेज 431

" Rajasthan tenancy act section 19(1) with reference to the revenue laws of the former jaipur state, khasra girdawari was ana annual register person whose name is entered therein as a sub tenant is entitled to khatedari rights it is not necessary for him to file a declaratory suit before assistant collector. "

जयपुर स्टेट् में खसरा गिरदावरी को एन्यूवल "Annual record of right" माना जाता और जब उसमें इंद्राज है तो उप–कृषक स्वयं अपने आप खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है।

सूरजमल बनाम दी स्टेट (हाई कोर्ट0) पेज 173

(a) Girdawari is relevant u/s 35 evidence act and no format proof is required by production of the officer who prepared it.

(b) Raj.land revenue act sec 140, 132&114-evidence act, sec 35-contents of record of rights-presumption of correctness of khasra.

The case came up from jaipur, and by reference to the revenue laws of the former jaipur state, which were then in force, it was held that khasra girdawari was an annual register, and the law laid down a presumption that the entries made therein were true.

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में प्रस्तुत प्रदर्श 11 से 13 के संबध में अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत वर्तमान प्रकरण पर पूर्णतया चस्पा होती है।

उपरोक्त कारणों से उक्त **तनकी संख्या 01 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों एवं मौखिक साक्ष्य एवं स्वतंत्र गवाहों के बयानों के आधार पर बहक वादी/अपीलांट विरूद्ध प्रतिवादी/रेस्पोडेन्टस तय की जाती है।**

तनकी संख्या 2– *" आया ग्राम मौखमपुरा में भूरा उर्फ भंवरलाल व सत्यनारायण पुत्र लादूराम जाति ब्राहम्ण का कोई व्यक्ति न ही तो पहले कभी था न ही वर्तमान में है। "*

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण/अपीलांट पर था वादीगण/अपीलांट ने अपने व गवाहान के सशपथ बयान करवाए थे तथा अखबार में भी प्रतिवादीगण के सम्मन साया करवाए है जिनका अवलोकन अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं किया तथा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट भी न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आए जब वादीगण/अपीलांट ने अपने वाद पत्र में यह कथन किया था कि ग्राम

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

कडवों का बास में भूरा उर्फ भंवरलाल व सत्यनारायण पुत्र लादूराम जाति ब्राहमण नाम का कोई व्यक्ति न ही तो पहले कभी था न ही वर्तमान में है। पत्रावली पर उपलबध भंवरलाल पुत्र लादूराम का मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत है जिसमें उसके मृत्यु का स्थान बिचून अंकित किया गया है। इस प्रकार अपीलांट द्वारा किया गया कथन प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर सही होना पाया जाता है। इसके अतिरिक्त मांन्ननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी संख्या 7438/2014 में पारित आदेश दिनांक 07.01.2015 द्वारा अप्रार्थीगण गीता को भंवर पुत्र लादू जाति ब्राहम्ण की पौत्री होना मानते हुए आवश्यक पक्षकार माना गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादीगण भंवरलाल व सत्यनारायण पुत्र लादूराम के वारिस हैं किंतु तनकी संख्या 1 वादीगण/अपीलांट के पक्ष में तय की जा चुकी है ऐसी स्थिति में भंवरलाल उर्फ भूरा व सत्यनारायण पुत्र लादूराम को वादग्रस्त आराजीयात में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के लागू होने के व जागीरदारी समाप्त होने के आधार पर किसी प्रकार का हक अधिकार नहीं था। जब रेस्पोडेंट के पूर्वजों को वादग्रस्त आराजीयात में किसी प्रकार का हक अधिकार उपलब्ध राजस्व दस्तावेजों के आधार पर प्राप्त नहीं होता है तो रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण को भी भूरा उर्फ भंवरलाल व सत्यनारायण पुत्र लादूराम के वारिस होने के आधार पर वादग्रस्त आराजी में किसी प्रकार का हक अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वादीगण/अपीलांट के विरूद्ध तय किए जाने पर भी उक्त तनकी का प्रभाव गुणावगुण पर पारित निर्णय पर किसी प्रकार नहीं पडता है। उक्त तनकी अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट/वादीगण के विरूद्ध तय की है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

तनकी संख्या 3– " *आया उपरोक्त विवादित आराजीयात पर पूर्व में वादीगण के पूर्वज भूरा पुत्र मोटा काबिज था और वर्तमान में वादीगण काबिज है।* "

उक्त तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर था तथा वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रदर्श– 11, 12 व 13 पेश किए गए जो कि खसरा गिरदावरी संवत 2009–2020 तक है जिसमें स्पष्ट रूप से कब्ज़ा काश्त वादीगण/अपीलांट के पूर्वजों का राजस्थान काश्तकारी अधिनियमं 1955 के प्रभाव में आने से पूर्व तथा आने के समय तथा काश्तकारी अधिनियम प्रभाव में आने के बाद रहा है। इसके अतिरिक्त शपथ पत्र पीडब्ल्यू–3 व पीडब्ल्यू–2 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है। शपथ पत्र पीडब्ल्यू–3 जो कि स्वतंत्र गवाह छीतर पुत्र हुक्माराम उम्र 77 साल जाति बलाई निवासी ग्राम मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का रहने वाला है तथा छीतर द्वारा भी अपने शपथ पत्र में यह अंकित किया है कि खसरा नम्बर 2614, 2615, 2616 व 2617 एक ही जाव है तथा बीच में कोई मेड नहीं है तथा वादीगण/अपीलांट अपने पूर्वजों के समय से उक्त भूमि पर काबिज काश्त है। शपथ पत्र पीडब्ल्यू–2 जो कि स्वतंत्र गवाह सूरजकरण पुत्र मूलचंद उम्र 75 साल जाति गुर्जर निवासी ग्राम मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर का निवासी है तथा सूरजकरण द्वारा भी वादीगण/अपीलांट का कब्जा अपीलांट के पूर्वजों के समय से अपीलांट/वादीगण का होना स्वीकार किया है तथा प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट का कब्जा नहीं होना बताया है। इस प्रकार कब्जे के संबंध में प्रदर्श दस्तावेज 11 से 13 तथा स्वतंत्र गवाहों के शपथ पत्रों के आधार पर वादग्रस्त आराजीयात पर कब्जा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

अपीलांट/वादीगण के पूर्वजों के समय से होना साबित है तथा तनकी संख्या 3 तनकी संख्या 1 की पूरक है अतः तनकी संख्या 1 का पूर्व में ही विस्तृत विवेचन किया जा चुका है। इसी आधार पर तनकी संख्या 3 भी प्रदर्श संख्या 11 से 13 व स्वतंत्र गवाहों के बयान के आधार पर अपीलांट के पक्ष में व रेस्पोडेंट के विरूद्ध तय की जाती है।

तनकी संख्या 4– *" आया विवादित आराजीयात. का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे। "*

इस तनकी को सिद्ध करने का भार अपीलांट/वादीगण पर था। चूंकि तनकी संख्या 1 व 3 पूर्व में ही अपीलांट/वादीगण के पक्ष में निर्णित हो चुकी है। खसरा नम्बर 2614, 2615, 2615, 2617 एक ही जाव है तथा उक्त खसरा नम्बर अपीलांट/वादीगण के पूर्वजों के नाम पूर्व में पर्चा सेटलमेंट से पूर्व प्रदर्श 11 से 13 जो कि खसरा गिरदावरी है जो संवत 2009 से 2020 की है जो जागीरदारी समाप्त होने से पहले व बाद की है व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले व बाद की है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजीयात पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पूर्व व लागू होने के समय व लागू होने के बाद लगातार अपीलांट/वादीगण के पूर्वजों का मौके पर कब्जा काश्त रहा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 15 के तहत वादीगण/अपीलांट के पूर्वज जागीरी समाप्त होने व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के समय वादग्रस्त आराजयीात पर काबिज काश्त होने के आधार पर स्वतः ही कानूनी रूप से खातेदार/काश्तकार हो गए थे। राजस्व कर्मचारियों द्वारा वादग्रस्त आराजीयात का पर्चा वादीगण/अपीलांट के पूर्वजों के नाम जारी नहीं कर त्रुटिपूर्ण रूप से प्रतिवादी/रेस्पोडेंट पूर्वजों के नाम जारी करने में कानूनी त्रुटि कारित की है। ऐसी स्थिति में वादीगण/अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय में अपने वाद को राजस्व दस्तावेजों यथा प्रदर्श 11 से 13 मौखिक दस्तावेजात व स्वतंत्र गवाह से साबित कर दिया था। वादग्रस्त आराजीयात पर संवत 2009 से लेकर आदिनांक तक वादग्रस्त आराजीयात पर पूर्व में वादीगण के पूर्वजों का कब्जा काश्त था तथा उनके फौत होने पर वर्तमान में वादीगण अपीलांट का कब्जा काश्त है तथा तनकी संख्या 1 व 3 वादीगण/अपीलांट के पक्ष में तय की जा चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त तनकी वादीगण/अपीलांट के पक्ष में व रेस्पोडेंट के विरूद्ध तय की जाकर वादग्रस्त आराजीयात का वादीगण/अपीलांट को खातेदार/काश्तकार घोषित किया जाना एवं प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के नाम दर्ज अंकन को हटाया जाकर वादीगण को बहैसियत खातेदार/काश्तकार घोषित कर राजस्व रिकार्ड में वादीगण/अपीलांट का नाम दर्ज किया जाना न्यायोचित है। ऐसी स्थिति में यह तनकी स्वयंमेव ही अपीलांट/वादीगण के पक्ष में व रेस्पोडेंट के विरूद्ध तय की जाती है। इस प्रकार वादीगण/अपीलांट खातेदारी प्राप्त करने के अधिकारी पाए जाते हैं।

तनकी संख्या 5– *" आया वादीगण ने झूठे तथ्यों के आधार पर उक्त वाद पेश किया है, जो काबिले खारिज है। "*

उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट पर था परंतु उनके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में तथा हाजा न्यायालय में किसी प्रकार के कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किए गए। चूंकि तनकी संख्या 1, 3 व 4 वादीगण/अपीलांट के पक्ष में पत्रावली का भली भांति अवलोकन किए जाने के पश्चात तय की गई है तथा प्रतिवादीगण द्वारा ना तो अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष व ना ही न्यायालय हाजा के समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे यह

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

प्रमाणित हो कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रभाव में आने के पूर्व या आने के समय वादग्रस्त आराजीयात पर रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण काश्त कर रहे थे तथा पर्चा सही रूप से प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट के नाम जारी किया गया था। उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलांट/वादीगण द्वारा सत्य कथनों के आधार पर वाद पेश किया गया है। चूंकि प्रतिवादीगण/रेस्पोडेंट उक्त तनकी को साबित नहीं कर पाए हैं। अतः उक्त तनकी भी बहक अपीलांट विरूद्ध रेस्पोडेंट तय की जाती है।

उपरोक्त विवेचन के क्रम में स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किए गए निर्णय में त्रुटि कारित हुई है तथा दस्तावेजी साक्ष्य एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

7. अतः अपील अपीलांट्स स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 633/2013 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 को निरस्त किया जाता है तथा वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 142 के खसरा नम्बर 5 रकबा 1.25 है0 तथा खाता संख्या 130 के आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 0.18 है0 वाकै ग्राम कंडवों का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में अपीलांट संख्या 1 व 2 को 1/2 व अपीलांट संख्या 3 के वारिसानों को 1/2 हिस्से का खातेदार/काश्तकार घोषित किया जाता है तहसीलदार मौजमाबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे व रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण का नाम हजफ करे। रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार दखलअंदाजी, मदाखलत उत्पन्न न तो स्वयं उत्पन्न करे व ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति से करावे। इस आशय का डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

12/09/2025
(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

डिगरी ब सीगे अपील

(ओ.41,रूल35 जाप्ता दिवानी)

;Civil Procedure Code,'Appendix "G"-9)

अज अदालत : **राजस्व अपील प्राधिकारी, मुकाम अजमेर।**
ब इजलाशः–रामचन्द्र, आर.ए.एस.

ओमशंकर पुत्र रूपनारायण जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मोखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर व अन्य।

बनाम

भूरा उर्फ भंवरलाल पुत्र लादू जाति ब्राहमण निवासी ग्राम मौखमपुरा तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर व अन्य।

(अपील संख्या 416/2022 ब अदालत सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर मुबखे 31 माह 10 सन् 2022 प्रकरण संख्या 633/2013 बउनवानी ओमशंकर बनाम भूरा उर्फ भंवरलाल वगैरह)

वाद अन्तर्गत धारा 88,188, राज0 काश्त0 अधिनियम–1956

यह अपील ब तारीख 12 माह 09 सन् 2025 रूबरू राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर ब हाजिर श्री उदयसिंह चौधरी अभिभाषक अपीलांट, श्री विकास पाराशर राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 03, 04, रेस्पोडेन्ट संख्या 01, 02 व 05 अनुपस्थित समायत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ हैं किः–अपील अपीलांटस स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट ट्रेक) दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 633/2013 में पारित निर्णय दिनांक 31.10.2022 को निरस्त किया जाता है। तथा वादग्रस्त आराजी खाता संख्या 142 के खसरा नम्बर 5 रकबा 1.25 है0 तथा खाता संख्या 130 के आराजी खसरा नम्बर 4 रकबा 0.18 है0,वाकै ग्राम कंडवों का बास तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में अपीलांट संख्या 1 व 2 को 1/2 व अपीलांट संख्या 03 के वारिसान को 1/2 हिस्से का खातेदार/काश्तकार घोषित किया जाता है।। तहसीलदार मौजमाबाद उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे व रेस्पोंडेंट/प्रतिवादीगण का नाम हफज करे। रेस्पोडेंट/प्रतिवादीगण अपीलांट के कब्जे काश्त की आराजी में किसी प्रकार दखलअंदाजी, मदाखलत उत्पन्न न तो स्वंय करे व ना ही किसी अन्य दीगर व्यक्ति से करावे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जैल तादादी मुबलिक –. रूपये– –. अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का– – अदा करें।)

बखत मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत आज तारीख 12 माह 09 सन् 2025 को जारी किया गया।

मोहर

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

खर्चा अपील :

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पोडेन्ट	रूपये	पैसे
1.स्टाम्प अपील	–		1.स्टाम्प वकालतनामा	–	
2.स्टाम्प वकालतनामा	–		2.स्टाम्प अर्जी	–	
3.इजराय हुक्मनामा	–		3.इजराय हुक्मनामा	–	
4.वकील फीस बाबत्	–		4.महनताना वकील	–	
मीजान	–		मीजान	–	

नोटः–इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे निगरानी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये